

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-दो

शुक्रवार, दिनांक 3 जनवरी, 2014 (पौष 13, 1935)

सभा में मोबाईल फोन नहीं ले जाने के संबंध में

विधान सभा की कार्यवाही के दौरान सदन में मोबाईल फोन की घंटी बजने से या उसका उपयोग करने से सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः विधान सभा की कार्यवाही के दौरान मोबाईल फोन का उपयोग वर्जित है।

अतः माननीय मंत्रीगण तथा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही के दौरान कृपया अपने मोबाईल फोन साथ लेकर न आयेँ/मोबाईल फोन स्वीच ऑफ मोड में रखें।

माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे सभा में जाने के पूर्व अपने-अपने मोबाईल फोन सूचना कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त करें।

माननीय मंत्रीगण एवं सभी माननीय सदस्यों से सदन की गरि मा बनाये रखने में सहयोग की अपेक्षा है।

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव